रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-348/2026/2317/22-2-2025-17(1132)/2025
लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम स्वरूप (बन्दी सं0-72/2024) पुत्र श्री बदल, गोकुलपुर, थाना-किशनपुर, जनपद-फतेहपुर का निवासी है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-405/96 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-06 फतेहपुर के दण्डादेश दिनांक 22.02.2001 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.03.2024 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को 07 वर्ष के सश्रम कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 13.09.2024 द्वारा अपील अस्वीकृत कर दी गयी है, बंदी द्वारा दिनांक 14.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष 07 माह 24 दिन तथा 01 वर्ष 10 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-348/2026/2317(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को अवमाननावाद संख्या-4501/2025 रामस्वरूप बनाम (1) श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी, (2) श्री शिव गोपाल सिंह, अपर मुख्य सचिव (राज्यपाल), राज्यपाल भवन, उ0प्र0 लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2025 के अनुपालन में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in